

2681
27/6/13
2959
30/6/13

न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्ता सदर, दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 कर नियम 129)

आदेश पत्रक अंतर्राज्य न्यायालय - भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सदर, दरभंगा।
भूमि विवाद वाद संख्या 89 सन् 2013-14
श्री अमरनाथ मिश्र बनाम श्री गंगा लक्ष्मी।

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
22.06.13	<p align="center"><u>आदेश</u></p> <p>सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद श्री अमरनाथ मिश्र पिता - स्व० - वेदानंद मिश्र शा०-खराजपुर थाना नौ अंचल - बहादुरपुर, जिला-दरभंगा द्वारा दाखल किया गया है। सुनवाई के दौरान वादी के विज्ञान अधिकारक द्वारा बताया गया कि प्रस्तुत विवाद मौरा-खराजपुर, अंचल- बहादुरपुर अंतर्राज्य खाता न०- 586 (पु०) खेसरा 1249 एवं 1250 (पु०) रकबा- 12 छुर जमीन से संबंधित है। इनके अन्तर्गत वाकु बंजुलाल मिश्र प्रशासन जमीन के मासिह के तबका खेसरा- 1249 एवं 1250 का रकबा बंदूत बड़ा है।</p> <p>सुनवाई के दौरान वादी के विज्ञान अधिकारक द्वारा वाकु बंजुलाल मिश्र का वंशावली देकर बताया गया कि बंजुलाल मिश्र को 06 लड़के थे जिनमें से सिधेश्वर मिश्र अविवाहित थे तथा भुवनेश्वर मिश्र, नागेश्वर मिश्र एवं जयकांत मिश्र को कोई संतान नहीं हुआ। इनके अन्तर्गत वादी के पिता वेदानंद को तीन लड़के-सूर्य नारायण मिश्र, अमरनाथ मिश्र एवं इन्दुनाथ मिश्र हुए तथा श्री कांत मिश्र को भी तीन लड़के हुए। इनके द्वारा बताया गया कि वादी द्वारा</p>	

(Handwritten signature)

अध्यापक

आदेश की
क्रम संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्रवाई के
बारे में दिप्पणी,
तारीख-हित

बाबु खैरुल्लाह मिश्रा के जमीन के बँवारा
के लिए विज्ञापन संपन्न करवाया गया
है। दादाजी के जमीन में बँवारा
काद सं. 247/37 - 1952/1955 का
विज्ञापन संपन्न, जिला निपटारा कादी एवं
इसके फरिदों के बीच खुलना का
आधार पर हुआ। इनके अनुसार प्रस्ताव
के अनुसार भी इस बँवारा काद में शामिल
था। इनके अनुसार बँवारा काद में
कादी को प्रस्ताव के अनुसार जमीन में
समाप्त- समाप्त जगह पर हिस्सा प्राप्त
हुआ तथा कादी को कुल 02 कड़ 12
घुर जमीन पश्चिम एवं उत्तर भाग
में मिला। इनके अनुसार इस बँवारा
काद में कादी के पिता को भी
हिस्सा मिला तथा कादी के पिता की
मृत्यु के बाद कादी एवं इसके फरिदों
द्वारा अपने पिता के हिस्सा में से
1/3 की दर से बँवारा कर लिया गया।
इसके अनुसार कादी द्वारा लिपि की
पिता संपुग सखी को प्रस्ताव जमीन
से 02 कड़ 2 कड़ दिनांक 25.11.1976
का देवाला द्वारा लेना गया है तथा
इस जमीन पर संपुग सखी को दायम
रहना दे दिया गया। इनके अनुसार
प्रस्ताव के अनुसार से 02 कड़ जमीन
लेने के बाद कादी के पास बरकत
12 घुर जमीन अवशेष बच गया जो
इस विवाद का विषय बन रहा है। इनके
अनुसार प्रस्ताव 12 घुर जमीन पर
कादी का शतक, आदिदा एवं दायम
रहना है। इनके द्वारा देना गया है
लिपि द्वारा कादी को प्रस्ताव जमीन
के बँवारा करने का प्रस्ताव दिया जा

समाप्त

न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्ता सदर, दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 कर नियम 129)

आदेश पत्रक

भूमि विवाद

वाद संख्या.....

89 सन् 2013-14

बनाम.....

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
	<p>रहा है। इनके अन्तर्गत वादी के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रश्नगत जमीन का सीमांकन दिया जाना आवश्यक है। इनका अन्तर्द्वेष है कि प्रश्नगत जमीन पर वादी का स्वत्व, अधिकार एवं दखल-कदम घोषित किया जाय तथा प्रश्नगत जमीन का सीमांकन करा दिया जाय। साथ ही, प्रश्नगत जमीन के उपयोग में वादी को अवरोध उत्पन्न करने से विपक्षी को प्रतिबंधित किया जाय एवं देखवली डी स्थिति में इन जमीन पर वादी को दखल-कदम दिलाया जाय।</p> <p>सुनवाई के दौरान विपक्षी के विरुद्ध आवेदनका डायर बनाया गया कि प्रश्नगत वाद चलने योग्य नहीं है। इनके अन्तर्गत प्रश्नगत विवाद में स्वत्व निर्धारण का गंभीर विषय अंतर-विहित है, जिसका समाधान स्वयं विविध न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। इनके अन्तर्गत वादी द्वारा विवादी जमीन की स्वत्व विवली नहीं दी गई है तथा प्रश्नगत जमीन का स्वत्व पर कोई जलका आधिकार नहीं है। इनके अन्तर्गत वादी द्वारा मांगा गया अन्तर्द्वेष स्वयं विविध न्यायालय से संबंधित है। इनके अन्तर्गत वादी एवं इनके अन्य</p>	

(Handwritten signature)

कमल

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में दिखनी, तारीख-सहित
	<p>अन्य फरिदों के बीच प्रश्नगत जमीन सहित अन्य जमीन का बँटवारा हुआ था, जिनमें वादी के पिता को भी हिस्सा मिला था, लेकिन वादी का यह कहना गलत है कि वादी के पिता की मृत्यु के उपरांत वादी के पिता को प्राप्त हिस्सा में से 1/3 भाग वादी को प्राप्त है। इनके अलावा वादी को छह भी बी तथा बहलु का हिस्सा स्पष्ट नहीं दिया गया है। इनके अलावा वादी द्वारा दिनांक 25.11.1976 के डेक्का से प्रश्नगत खेतों से 02 कड़ा जमीन विपक्षी के पिता सखुग सहनी को बेचा गया तथा इसपर दायम-बन्ना दे दिया गया। इनके अलावा वादी के भाई इन्द्र नारायण मिश्रा एवं सुरेशनारायण मिश्रा द्वारा भी खेतों-1249 से 04 कड़ा जमीन दिनांक 09.12.1977 एवं 05.08.1976 के डेक्का से विपक्षी के पिता को बेचा गया है। इनके अलावा बँटवारा वाद सं० - 244/1952/37/1955 से वादी को प्रश्नगत खेतों 1249 में 01 कड़ा 15 चुर तथा खेतों- 1250 में 18 1/4 चुर हिस्सा प्राप्त हुआ तथा वादी द्वारा सखुग सहनी के नाम से खेतों- 1249 से 01 कड़ा 15 चुर तथा 1250 से 05 चुर जमीन बेचा गया जिसका दायम-बन्ना सं० खेतों- 1450 एवं 1451 है तथा डेक्का की चौदही के अलावा प्रश्नगत जमीन पर विपक्षी का दायम-बन्ना है। इनके अलावा प्रश्नगत जमीन पर स्वयं वादी द्वारा ही विपक्षी के पिता को दायम-बन्ना दिया गया है तथा वादी की अवयव जमीन प्रश्न को धारित है, इस कारण वादी को विपक्षी</p>	

(Handwritten signature)

काम,

